उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह

(Email id-dccourt.grd@gmail.com)

Mutation Revision Case no.–06 / 2022–23

तेजनारायण प्रसाद बनाम राज्य

आदेश की कम सं0 एवं तारीख	आदेश	
17.12.24	यह रिविजन वाद अंचल अधिकारी, सरिया के द्वारा नामान्तरण वाद सं0 207 R27/2020-21 मे दिनांक 05.11.2020 को एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर–सरिया के द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं0 09/2020-21 में दिनांक 10.02.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध तथा अंचल अधिकारी, सरिया के द्वारा नामान्तरण वाद सं0 127 R27/2021-22 में दिनांक 24.09.2021 को एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर सरिया द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं0 47 / 2021–22 में दिनांक 09.02.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है जिनमें दोनों ही स्तरों पर आवेदक के खरदगी भूमि पर Mutation की स्वीकृति नहीं दी गई है तथा इसका कारण यह उल्लेख किया गया है कि वादगत भूमि की जमाबंदी, विक्रेता या उनके पूर्वज के नाम कायम नहीं है। अभिलेख में संलग्न दस्तावेज, वादी के विद्वान अधिवक्ता के लिखित अभिकथन के अवलोकन एवं परिशीलन के उपरांत निम्न तथ्य परीलक्षित होते हैं:– (1). यह कि वादगत भूमि मौजा–मायापुर, गादी रामगढ़, थाना नं0 72 वर्त्तमान अंचल सरिया खाता नं0 17, प्लॉट नं0 236, रकवा 65 डी0, किस्म रैयती विक्रेता विनय कुमार के पूर्वज भूपत पाण्डेय (विक्रेता के दादा / पितामह) के द्वारा Registered Deed सं0 3120 दिनांक 25.06.1942 के द्वारा क्रय की गई। (2). Registered Deed में Register II के संलग्न न होने से ज्ञात होता है कि विक्रेता के दादा / पितामह द्वारा भूमि क्रय करने के उपरांत उनके द्वारा दाखिल–खारिज नहीं कराया गया, और न ही आवेदक द्वारा विक्रेता का Register II या शुद्धि पत्र न्यायालय में दायर किया गया है और न ही इस संबंध में written statement में कहीं चर्चा की गई है। (3). वादी के अधिवक्ता का यह अभिकथन की समान भूमि पर अन्य क्रेता का Mutation स्वीकार किया गया है तो इसके पीछे ये कारण अवश्य रहा होगा उनके (उक्त अन्य क्रेता के) विक्रेता या उनके पूर्वज के नाम नामान्तरण होकर जमाबंदी कायम रही होगी। (4). इस वाद में विक्रेता या उनके पूर्वज के नाम जमाबंदी कायम होने / नामान्तरण होने / शुद्धि पत्र निर्गत होने की हल्की आहट किसी भी तथ्य या	

दस्तावेज से प्रतिध्वनित नहीं होता है।

(5). यह तथ्य भी संज्ञान में लाया गया कि वादगत भूमि के विक्रेता का Mutation Case no. 37/2020-21 वर्त्तमान में अंचल अधिकारी, सरिया के यहाँ लंबित है तथा इनका Mutation होने के उपरांत ही आवेदक का Mutation पर अग्रेतर कार्रवाई की जायगी, जो सही प्रतीत होता है।

(6). यह भी आश्चर्यजनक है कि क्रेता के Register II/शुद्धि पत्र की प्रति के बिना अवर निबंधक, गिरिडीह के द्वारा दिनांक 20.02.2015 को निबंधन स्वीकार कर लिया गया जो इस प्रकार के Litigation को उत्पन्न करने का कारक बनते हैं।

(7). यह कि जब विक्रेता का Mutation/जमाबंदी कायम होना अभी लंबित है तो क्रेता का नामान्तरण स्वीकार करना वैध नहीं है।

आदेश

उपरोक्त तथ्यों के आधार वर्त्तमान रिविजन को खारिज किया जाता है परंतु आवेदक को यह छूट प्रदान की जाती है कि वे विक्रेता के नाम लंबित Mutation Case no. 37/2020-21 यदि स्वीकृत हो जाता है तो वे विधिवत अपने Mutation हेतु अंचल कार्यालय, सरिया में आवेदन दे सकते हैं तथा अंचल अधिकारी, सरिया को आदेश दिया जाता है लंबित Mutation Case no. 37/2020-21, जो लगभग चार वर्ष पुराना हो चुका है, उस पर यथाशीघ्र निर्णय लेकर उसका निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि तदनुसार आवेदक अग्रेतर कार्रवाई कर सके।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

विधि व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

आदेश से सभी संबंधितों को अवगत करा दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

17/12/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह

17/12/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह

ज्ञपांक 1041, दिनांक 17/12/2024

प्रतिलिपि :– जिला अवर–निबंधक, गिरिडीह/सभी अवर–निबंधक, गिरिडीह जिला/अंचल अधिकारी, सरिया/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Digitally signed by Naman Priyesh Lakra
Date: 2024.12.21 15:42:07 +05:30
Location: fd01::55d7:42e3:343f:e0e6

17/12/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह